न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 77/2021 तारीख 21.09.2021

अनवान

देऊ बाई पत्नि सुगनलाल जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी केसुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

1. देबी लाल पिता घीसालाल जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. कैलाश पिता दीपचन्द जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्रहलाद पिता गोरधन जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक : 30/11/2021

प्रार्थना पत्र देऊ बाई पत्नि सुगनलाल जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी केसुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक **श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा गोपालपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 184 पर अंकित आराजी संख्या 252 रकबा 0.2833 हे0, आराजी संख्या 659/255 रकबा 0.0405 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.3238 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में शिविर स्थान कांस्या... में पत्रावली पेश हुई हमनें पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा गोपालपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 184 पर अंकित आराजी संख्या 252 रकबा 0.2833 हे0, आराजी संख्या 659/255 रकबा 0.0405 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.3238 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेड़ा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी मौके पर अदा करेंगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
(उपखण्ड अधिकारी)
बिजौलिया (भीलवाड़ा)

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 ★ उप खण्ड बिजौलिया ★ सत्यमेव जयते